

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

आदेश

का०आ०सं०-1प/स्था०-15-03/2019/..68../प०रा० पटना, दिनांक 20/03/2020

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3736 दिनांक-13.03.2020 के आलोक में पंचायती राज विभाग अन्तर्गत सेवानिवृत्त अंकेक्षकों/अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु दिनांक-23.03.2020 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे से विभागीय सभागार में निर्धारित कॉउन्सलिंग अगले आदेश तक स्थगित की जाती है।

  
(चन्द्रशेखर सिंह)  
निदेशक